FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Bageshwer

No.......................... Dated...01.01.2022........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **22.112 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण (कि0मी0 133.00 से 170.00) लम्बाई 37.00 कि0मी0 district Bageshwer falls within jurisdiction Tyunara, Gadiyagav, Bilonashera, Kalota, Pauri, Rekholi, Simsyari, Joshigav, Khakar, Bhattkhola Ariyagar, Karala,Gadikhet, Chani Village (s) in Bageshwer, Kafaligair Tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **22.112** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .Page No-11.... to annexure...Page No-358 .

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

Vineet kumar
District Collector, Bageshwer

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Bageshwer

No......................... Dated...01.01.2022.........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified **that 22.112 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of N.H P.W.D. Ranikhet for the **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा– बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण (कि0मी0 133.00 से 170.00) लम्बाई 37.00 कि0मी0 district Bageshwer falls within jurisdiction Tyunara, Gadiyagav, Bilonashera, Kalota, Pauri, Rekholi, Simsyari, Joshigav, Khakar, Bhattkhola Ariyagar, Karala,Gadikhet, Chani Village (s) in Bageshwer, Kafaligair Tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **22.112** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure Page.No.-11 to annexure Page.No.35-B

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Tyunara, Gadiyagav, Bilonashera, Kalota, Pauri, Rekholi, Simsyari, Joshigav, Khakar, Bhattkhola Ariyagar, Karala,Gadikhet, Chani** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Vineet Kumar
District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT BAGESHWER (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwer district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vineet Kumar, I.A.S., deputy commissioner, Bageshwer on date.01.01.2022..at time.1.30 PM..at Bageshwer in which application claiming rights **of Tyunara, Gadiyagav, Bilonashera, Kalota, Pauri, Rekholi, Simsyari, Joshigav, Khakar, Bhattkhola Ariyagar, Karala,Gadikhet, Chani** measuring **22.112 hac.**for the राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा– बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण (कि0मी0 133.00 से 170.00) लम्बाई 37.00 कि0मी0 of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bageshwer, Kafaligair sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Bageshwer

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:

परियोजना का विवरणः— राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर—गंगोलीहाट —बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर— ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू—लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 37.00 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बागेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बागेश्वर

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर—गंगोलीहाट —बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर— ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू—लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 37.00 कि0मी0 हेतु** 22.112 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बागेश्वर) की दिनांक 14.11.21 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री** हर गिरी **उपजिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— सु0 श्री हर गिरी **उप जिलाधिकारी, बागेश्वर अध्यक्ष**

2— श्री ~~[illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा~~ वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर, सदस्य 14.11.21

3— श्री बी.बी. जोशी सहायक ~~सहायक समाज कल्याण अधिकारी~~ खण्ड विकास अधिकारी, सदस्य / सचिव

4— श्री प्रमोद कुमार जोशी बी0डी0सी0 क्षेत्र भटखोला सदस्य

वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर वन क्षेत्र बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

सहायक खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड-बागेश्वर (बागेश्वर)

सदस्य क्षेत्र पंचायत भटखोला 22 वि0 ख0/जिला- बागेश्वर

तारा भट्ट सदस्य क्षेत्र पंचायत जोलकांडे वि0 ख0 व जनपद बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर—गंगोलीहाट —बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर— ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू—लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु** 22.112 **है0**, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वनप्रभाग अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर– ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 37.00 कि0मी0 हेतु 22.112 है0**, वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर व जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– मटेला

तहसील– बागेश्वर व जिला– बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 22.112 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मटेला .... द्वारा दिनांक 14.09.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम ~~काफलीगैर~~** मटेला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

लक्ष्मी रौतेला
प्रधान
ग्राम पंचायत मटेला
वि0 ख0– बागेश्वर (बागेश्वर)
ग्राम प्रधान

दिनांक 14.09.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
(1) दरवान सिंह		दरवान सिंह
(2) मदन सिंह		[illegible]
(3) बहादुर सिंह		[illegible]
(4) ललिता रौतेला		ललिता रौतेला
(5) तिलराम		तिलराम

ललिता रौतेला
प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत मटेला
वि0 ख0–बागेश्वर (बागेश्वर)

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– करालीबूंगा

तहसील–बागेश्वर व जिला–बागेश्वर।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 22.112 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत करालीबूंगा द्वारा दिनांक 15.09.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम करालागॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान पुष्पा देवी
ग्राम पचायत करालीबूंगा
वि0ख0 ...

ग्राम प्रधान

दिनांक 15/09/021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत करासीबूंगा

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	पंकज सिंह रौतेला	पंकज सिंह रौतेला
2	भूपाल सिंह रौतेला	
3	भूपेन्द्र सिंह रौतेला	[illegible]
4	कुन्दन सिंह रौतेला	[illegible]
5	बालक सिंह	[illegible]

ग्राम प्रधान [illegible]
ग्राम पचायत
वि0ख0/[illegible]

परियोजना का नामः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– कफड़ा

तहसील– बागेश्वर व जिला– बागेश्वर।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य में राश्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के रामेश्वर–गंगोलीहाट –बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू–लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि0मी0 हेतु 22.112 **है0** वन भूमि, का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कफड़ा .... द्वारा दिनांक 13.09.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम ऐरिया गाड़** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

13/9/021

प्रधान
ग्राम पंचायत कफड़ा
वि0 ख0 ...

ग्राम प्रधान

दिनांक 13/09/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1.	शंकर मेहता	[illegible]
2	प्रभात सिंह	प्रभातसिंह
3	जगमोहन मेहता	[illegible]
3	महिपाल सिंह	[illegible]
4	नन्दन सिंह	[illegible]
5	महेन्द्र सिंह	महेन्द्रसिंह

ग्राम प्रधान

[illegible] मेहता
प्रधान 13/9/021
ग्राम पंचायत कमड़ा
वि० ख० बागेश्वर